लय ....
न ....
मा नं. .... बनाम ....

20/1/2020	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अभिभाषक उप.। बहस हेतु पुन: अवसर चाहा। न्यायहित में पुनः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/1/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
28/1/2020	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी के अभिभाषक उप.। बहस अप्रार्थी से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/2/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
17/2/2020	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी के अभिभाषक की सुनी गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली कैफियत मुताबिक होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद • मुख्यालय सीकर (राज.))

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास राजपाल यादव आरएएस

प्रकरण सं. 664/2015/(पुराना नं. 47/2013) विविध

1. इलियास खान आयु 39 वर्ष पुत्र अल्लादीन खान
2. इकबाल आयु 32 वर्ष पुत्र अल्लादीन खान
   समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासीगण किरडोली तहसील धोद जिला सीकर

—प्रार्थीगण/प्रत्यर्थी सं. 2 व 4

बनाम

1. शकीला पुत्री अल्लादीन खां पत्नी फारूक खान जाति मुसलमान कायमखानी निवासी किरडोली तहसील धोद हाल बलोद भाखरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर
2. अब्बास खान पुत्र अल्लादीन खान
3. गफार खान पुत्र अल्लादीन खान
   समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासी किरडोली तहसील धोद जिला सीकर
4. शमीम पुत्री अल्लादीन खां पत्नी अयूब खान जाति मुसलमान कायमखानी निवासी किरडोली तहसील धोद हाल बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
5. अमरीन पुत्री अल्लादीन खां पत्नी अबरार जाति मुसलमान कायमखानी निवासी किरडोली तहसील धोद जिला सीकर
6. ग्राम पंचायत किरडोली जरिये सरपंच

—प्रत्यर्थी/अपीलांट

—औपचारिक प्रत्यर्थी

आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सीपीसी बाबत अपील संख्या 34/2012 उनवान शकीला बनाम अब्बास खान में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2013 निरस्त कर सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर दिये जाने बाबत।

उपस्थिति—

1. श्री अमरचंद गोयल वकील प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री अमरसिंह सुण्डा, वकील अप्रार्थी/प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से
3. श्री गणपतलाल, वकील अप्रार्थी/प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 17.02.2020

01. वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी/अपीलान्ट शकीला द्वारा दिनांक 13.09.2012 को अपील संख्या 34/2012 उनवान शकीला बनाम अब्बास खान व अन्य प्रस्तुत करते हुये अपील के साथ आवेदन अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 का प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 का सम्मन तामील करवाये बिना तथा उक्त प्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित किये बिना निर्णय दिनांक 04.01.2013 पारित

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है कि दिनांक 04.01.2013 को निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को अपील की सुनवाई का सम्मन नोटिस प्राप्त नहीं हुआ तथा न ही प्रार्थीगण पर सूचना की तामील सम्यक रूप से की गई। प्रार्थीगण को अपील की सूचना की तामील सम्यक रूप से नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अपील की सुनवाई के दिन न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थीगण की अनुपस्थिति का युक्तियुक्त एवं समुचित तथा प्रर्याप्त कारण रहने से न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2013 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर दिया जाना उचित है। अपीलांट द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1, 3, 5 व 6 से साजिश कर प्रार्थीगण पर अपील की बिना तामील करवाये प्रत्यर्थी संख्या 1 अब्बास द्वारा नोटिस प्राप्त कर प्रार्थीगण को सूचना दिए बिना न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित करवाए बिना ही निर्णय दिनांक 4.01.2013 पारित करवाया गया। उक्त आदेश विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने के साथ–साथ प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर दिया जाना उचित एवं आवश्यक है। अपील के निस्तारण से पूर्व आदेश 11 नियम 3 (क) के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना में विलंब की माफी के लिए प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाना आवश्यक होते हुए भी आवेदन पर निर्णय पारित किए बिना विवादित आदेश दिनांक 04.01.2013 पारित किए जाने से पारित निर्णय निरस्त किया जा कर प्रार्थीगण को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिया जाना है। स्वीकृत रूप से चुनौतीग्रस्त नामांतरकरण संख्या 704 में शकीला पक्षकार नहीं रही। पक्षकार नहीं रहने के कारण न्यायालय की अनुमति के बिना अपीलांट शकीला को अपील प्रस्तुति का अधिकार नहीं रहने से पारित निर्णय दिनांक 04.01.2013 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर दिया जाना उचित एवं आवश्यक है। अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 704 के संबंध में पारित प्रस्ताव एवं आदेश को चुनौती नहीं दी गई तथा आदेश की एवं पारित प्रस्ताव की प्रति राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल 1956 के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना में प्रस्तुत किए बिना अपील प्रस्तुत की गई है, इस कारण प्रस्तुत अपील मेंटेनेबल न होने के कारण पारित निर्णय दिनांक 04.01.2013 निरस्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। प्रार्थी इलियास दिनांक 10.06.2011 को एवं इकबाल दिनांक 06.06.2012 को विदेश में कमाने खाने के लिए गए थे, जो दिनांक 04.03.2013 को वापस लौटकर आये। उक्त स्थिति के प्रकाश में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रार्थीगण पर तामील होने का एवं प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अपीलांट द्वारा साजशी कार्रवाई में प्रार्थीगण पर तामिल करवाए बिना विवादित आदेश पारित करवाया गया है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आदेश दिनांक 04.01.2013 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.09.2013 को प्रार्थी इलियास द्वारा स्वयं के कब्जे अधिकारशुदा भूमि में से 0.11 हेक्टेयर भूमि का अन्तरण करने पर हुई। दिनांक 04.01.2013 से जानकारी दिनांक 02.09.2013 तक का विलम्ब जानकारी के अभाव में क्षमा करने हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन उचित न्याय शुल्क एवं माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर पारित निर्णय दिनांक 04.01.2013 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर दिया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned by CamScanner

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 3 ता 6 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री अमरसिंह सुण्डा, एड. उपस्थित हुये परन्तु जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री गणपतलाल, एड. उपस्थित हुये परन्तु जवाब पेश नहीं किया।

03. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों को दोहराते कथन किया कि हमारे को कोई विधिवत नोटिस तामील नहीं कराया गया। एकपक्षीय कार्यवाही का भी आदेशिका पर अंकन नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जावें। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/अप्रार्थी सं. 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि आवेदन अन्दर मियाद नहीं है। देरी का कारण भी पुष्ठ नहीं है। न्यायालय में तामील हुई है, जिसे न्यायालय ने माना है। इसी प्रकार वकील जवाबदाता/अप्रार्थी सं. 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि निर्णय दिनांक 04.01.2013 की जानकारी दिनांक 02.09.2013 को होना बताया है। लेकिन आवेदन दिनांक 01.10.2013 को पेश किया है। अतः 28 दिन की देरी का कारण अंकित नहीं किया है। इस निर्णय की द्वितीय अपील सं. 45/2013 इकबाल द्वारा संभागीय आयुक्त न्यायालय में की जा चुकी है। अतः आवेदन चलने योग्य नहीं है। रिपीटल में वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि जानकारी की दिनांक से 30 दिन के अन्दर आवेदन पेश कर दिया गया था, जिसमें देरी का कारण अंकित है। आवेदन बाददायरी व अपील दोनों रेमिडी साथ–साथ चल सकती है। अपील के निस्तारण की जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर जवाबदेही व सुनवाई का अवसर दिया जावें।

04. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नोटिस से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण इकबाल व इलियास के तामीली नोटिस उनके सगे भाई अब्बास ने प्राप्त किये है। प्रार्थीगण का स्वयं का कथन है कि वे विदेश में कमाने–खाने गये हुये थे। इससे स्पष्ट है कि तामील कुनिंदा प्रार्थीगण के घर पर गया था तथा उनके विदेश में होने के कारण उनके सगे भाई अब्बास से नोटिस तामील करवाये गये थे। अतः ऐसी स्थिति में सगे भाई पर नोटिस की तामील कराया जाना कानूनन सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। पुनश्चः इस निर्णय की द्वितीय अपील संभागीय आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन है, जो इकबाल द्वारा ही की गई है। ऐसी स्थिति में इस आवेदन का कोई महत्व नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का आवेदन सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.03.19 14:40:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: